

(5)

प्रथम पत्र अधिवक्ता द्वारा बतलाया गया कि प्रथम पत्र न्यायालय आग ही छोड़ दिया है। दिनांक 05-06-17 को रखे।

19/5/17

05-06-17

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पत्र अनुपस्थित दिवस पर अधिवक्ता हाजरी। उभय पक्ष वताव दारिजल कै। दिनांक 23-06-17 को रखे।

05/06/17

23-06-17

कैमपीन उदाधिकारी बैंक में जाग लेने हेतु रांची में। दिनांक 10-07-17 को रखे।

10-07-17

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पत्र अनुपस्थित दिवस पर क्रमांक 03 उपस्थित अन्य अधिवक्ता हाजरी। उक्त वाद में 6 (छः) माह की अवधि पूर्ण हो चुकी है अर्थात् वाद काल अधिसूचित हो गया है अतः वाद में अभिलेख का कोर्ट बन्द की जाती है।

10/7/17  
कार्यपालक दण्डाधिकारी  
बण्डू (रांची)